

- [प्रसूती सहायता \(क्लक करें\)](#)
- [विवाह के लिए सहायता \(क्लक करें\)](#)
- [चिकित्सा सहायता \(क्लक करें\)](#)
- [दुर्घटना सहायता \(क्लक करें\)](#)
- [छात्रवृत्ति / मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना \(क्लक करें\)](#)

id fr l gk; rk

; kstuk dk Lo: i &

हम्माल एवं तुलावटियों के परिवार को प्रसूति के लिए सहायता ।

; kstuk ds rgr ykHk &

महिला हम्माल एवं तुलावटी को अधिकतम दो प्रसूति के लिये सहायता तथा पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता को कलेक्टर द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी का भुगतान देय होगा । प्रसूति सहायता अधिकतम 2 प्रसूति तक के लिए । योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं आवेदन का प्रारूप –

आवेदन निर्धारित प्रपत्र 4(1) में प्रस्तुत करेगा । जिसका प्रारूप संलग्न है । प्रसूति दिनांक के 10 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

vkonu fdl s iLrr djuk gS &

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को करेगा ।

xr o"kl s bl o"kl dk y{; &

कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

Lohdfr ds vf/kdkj &

1. 5000/- तक प्रति हितग्राही के दावों की स्वीकृति मण्डी समिति द्वारा ।
2. 5000/- या अधिक प्रति हितग्राही के दावों पर मण्डी समिति द्वारा म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी ।
3. सभी स्वीकृत दावों का भुगतान म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों को किया जावेगा ।

¼Ø; kllø; u foHkkx & df"k mi t e.Mh½

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

fookg ds fy; s l gk; rk

; kstuk dk Lo: i &

न्यूनतम 5 महिला अनुज्ञप्तिधारी के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा मे ।

ik=rk dh 'krī &

विवाह के लिये/एक बार पुनर्विवाह, 2 पुत्रीयों की सीमा का न्यूनतम 5 महिला अनुज्ञप्तिधारी के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में ।

; kstuk ds rgr ykHk &

रूपये 6000 /—

योजना हेतु आवेदन का तरीका—निर्धारित प्रारूप में 10 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप संलग्न है ।

vkonu fdl s iLrr djuk gS &

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को करेगा ।

xr o"kl s bl o"kl dk y{; &

लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

fpfdRI k I gk; rk

; kstuk dk Lo: i &

दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियम व मापदंड लागू होंगे । और मण्डी की सहायता योजनान्तर्गत देय चिकित्सा सहायता ।

बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में होने वाली चिकित्सा व्यय ।

; kstuk ds rgr ns ykHk &

अधिकतम राशि 20,000/-दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना में प्राप्त आर्थिक मदद के अतिरिक्त होगी ।

योजना हेतु आवेदन का तरीका –आवेदन प्रारूप 3 के साथ (जो संलग्न है) चिकित्सा हेतु भर्ती करने वाले शासकीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर सभी कैश मेमो प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होंगे ।

vkonu ik: i , oa vko' ; d nLrkost fdl siLrqr djuk &

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को करेगा ।

xr o"kl sbl o"kl dk y{; &

लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

nqkMuk l gk; rk ; kstuk

; kstuk dk Lo: i &

अनुग्रह सहायता राशि परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जावयेगी, किन्तु उसे यदि अन्य योजना के अधीन अंत्येष्टि की राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

ik=rk dh 'krī &

- (अ) दुर्घटना में स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु की स्थिति में सहायता हम्माल/तुलावटी की मृत्यु होने की दया में ।
- (ब) मण्डी प्रांगण में कार्य करते समय दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता 2 अंगों के क्षतिग्रस्त होने पर
- (स) अंगभंग के कारण आंशिक अपंगता ।
- (ड) मण्डी प्रांगण में कार्य करते समय दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में पत्नी/आश्रित को

; kstuk ds rgr ykHk &

- अ. 2000 /—
- ब. 2500 /—
- स. 7500 /—
- ड. 50000 /—

योजना हेतु आवेदन का तरीका (आवश्यक दस्तावेज—शासकीय चिकित्सा का प्रमाण पत्र, व्यय देयक)

- अ. पत्नी/परिवार के आश्रित सदस्य द्वारा सक्षम उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मृत्यु होने के 90 दिन के भीतर, आवेदन प्रारूप 6 को प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- ब. ---"---
- स. ---"---
- ड. ---"---

vkonu fdl si lrrr djuk g\$ &

मण्डी समिति सहायता राशि का भुगतान कृषिउपज मंडी समिति को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

xr o"kl l sbl o"kl dk y{; &

लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

Nk=ofRr@e?kkoh Nk= i q Ldkj ; kst uk

ik=rk dh 'kr? &

प्रत्येक एसो छात्र जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है । उसे मेघावी छात्रवृत्ति दी जावेगी ।

; kst uk dk Lo: i &

जिसके अभिभावक मंडी में लायसेंसधारी हम्माल या तुलावटी है ।
योजना के तहत लाभ –

वार्षिक	छात्र	छात्रा
कक्षा 5 वीं से 7 वीं	500	750
कक्षा 8 वीं से 9 वीं	750	1000
कक्षा 10 वीं से 11वीं	1000	1500
स्नातक	2000	3000
स्नातकोत्तर	3000	4000

योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ प्रारूप 2 में संलग्न आवश्यक दस्तावेज ।
शाला के प्रधान/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशंसित होने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । (प्रारूप 2 संलग्न है)

vkonu fdl s i Lrr djuk g\$ &

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को करेगा ।

xr o"kl s bl o"kl dk y{; &

लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

vkonu fdl s i Lrr djuk g\$ &

मण्डी समिति सहायता राशि का भुगतान कृषिउपज मंडी समिति को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

xr o"kl s bl o"kl dk y{; &

लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)